



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 139 - विनियम एवं काविनी / पाकालि / 2017 - 68 - विनियम / 15 दिनांक 07 सितम्बर, 2017

शुद्धि पत्र

तकनीशियन (ग्रेड-2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया तथा तकनीशियन (ग्रेड-2) से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया विषयक निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 135-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2017-68-विनियम/2015 दिनांक 05.09.2017 में उल्लिखित तकनीशियन ग्रेड-2 से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता के बिन्दु-(ग) का उपबिन्दु-(3), जो निम्नवत् है :-

(3) “ प्रोन्नति के उपरान्त, सिविल (जानपद) विद्या के डिप्लोमा / डिग्रीधारी कार्मिकों को अवर अभियन्ता (जानपद) का कैंडिडेट आवांटेड किया जायेगा एवं अन्य डिसिप्लिन के डिप्लोमा / डिग्रीधारी कार्मिकों को अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) कैंडिडेट आवांटेड किया जायेगा।”

उपबिन्दु-(3) में उल्लिखित “एवं अन्य डिसिप्लिन के डिप्लोमा / डिग्रीधारी कार्मिकों को अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) कैंडिडेट आवांटेड किया जायेगा।” को उक्त आदेश के निर्गमन की तिथि से विलुप्त किया जाता है।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)

संख्या: 139-(1) विनियम/काविनी-29/पाकालि/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड, फेज-2, गोमती नगर, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (सचि0प्रशा0) उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

अज्ञा से
२.९.१७
(राजेश कुमार भटनागर)
अनु सचिव (विनियम)